भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1000

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अनुसंधान और नैदानिक परीक्षण

1000. श्री बैजयंत पांडा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयुष पद्धति के अंतर्गत किए गए नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इसके माध्यम से उत्पन्न हुए सहवर्ती-समीक्षित प्रकाशनों, पेटेंट अथवा साक्ष्य-आधारित निष्कर्षों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुष अनुसंधान को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार (आर एंड आई) तथा आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान (एबीआईएचआर) घटकों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान क्रमशः 42 (10 नए एवं 32 प्रगतिरत) तथा 07 (05 नए एवं 02 प्रगतिरत) अनुसंधान परियोजनाओं को तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की गई तथा निधियाँ किस्तों के आधार पर जारी की गईं।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ अनुसंधान परिषदें, अर्थात् केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) तथा केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन) अपने अनुसंधान संस्थानों/उपचार केन्द्रों/परिधीय इकाइयों के माध्यम से नैदानिक अनुसंधान, औषधि प्रमाणन, औषधि सत्यापन, औषधि वैधीकरण, औषधि मानकीकरण, जनस्वास्थ्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान तथा महामारी संबंधी अनुसंधान जैसी अनुसंधान गतिविधियाँ भी संचालित करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपर्युक्त अनुसंधान परिषदों द्वारा कुल 693 अनुसंधान अध्ययन (अर्थात् सीसीआरएएस - 340, सीसीआरएच - 142, सीसीआरयूएम - 140, सीसीआरएस - 71) संचालित किए गए।

(ख): अनुसंधान एवं नवाचार (आर एंड आई) घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सहवर्ती-समीक्षित शोध पत्रिकाओं में कुल 10 शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान अनुसंधान परिषदों द्वारा सहवर्ती-समीक्षित शोध पत्रिकाओं में कुल 653 शोध-पत्र प्रकाशित किए गए, जिनमें सीसीआरएएस द्वारा 232, सीसीआरएच द्वारा 84, सीसीआरयूएम द्वारा 248, सीसीआरएस द्वारा 67 तथा सीसीआरवाईएन द्वारा 22 शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। इसके अलावा,

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसंधान परिषदों को कुल 03 पेटेंट प्रदान किए गए, जिनमें 02 पेटेंट सीसीआरएएस को तथा 01 पेटेंट सीसीआरएच को प्राप्त हुआ।

(ग): प्रमाणित आयुष अनुसंधान को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय तथा इसकी अधीनस्थ अनुसंधान परिषदों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) आयुष पद्धतियों का आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयुर्स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) घटक के तहत राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 09 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य आयुष तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सहयोग से आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना, आयुष पद्धतियों के वैज्ञानिक सत्यापन को सुदृढ़ बनाना तथा उनकी व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देना है।
(ii) बाह्य अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) तथा केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) द्वारा समेकित स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित क्षेत्रों में अनुसंधान संचालित करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं ऋषिकेश में आयुष - आईसीएमआर एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च (एआई-एसीआईएचआर) की स्थापना की पहल की गई है।
(iii) सीसीआरएएस द्वारा कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात(एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयुष पद्धतियों का एकीकरण किया गया है।
(iv) सीसीआरएस ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्-राष्ट्रीय क्षयरोग अनुसंधान संस्थान (आसीएमआर-एनआईआरटी) के साथ क्षयरोग (टीबी) की रोकथाम, प्रबंधन तथा पुनर्वास के उद्देश्य से तीन सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की हैं।
(v) उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आयुष को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सुलभ, किफ़ायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना एक प्रमुख कार्यनीति है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसीएस), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसीएस) तथा जिला अस्पतालों (डीएचएस) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन के माध्यम से आयुष सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत किया है।
